प्रेस विज्ञप्ति

आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) को एक लाख रुपये तक की कटौती का प्रावधान है, जो कि निम्नलिखित के लिए है:-

(i) कुछ बचत साधनों में निवेश करना; या
(ii) ट्यूशन फीस और आवास ऋण के पुनर्भुगतान पर व्यय करना।

2. लघु बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित दो जमा साधनों में किए गए निवेश को धारा 80ग के दायरे में शामिल करने का नीतिगत निर्णय लिया है: -

(i) पांच वर्षीय डाकघर सावधि जमा खाता; और
(ii) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना।

3. इसलिए, पिछले वर्ष 2007-08 (आकलन वर्ष 2008-09 के लिए प्रासंगिक) और उसके बाद के वर्षों के दौरान इन दो उपकरणों में किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) द्वारा किया गया निवेश, आयकर अधिनियम की धारा 80ग के तहत कटौती के लिए पात्र होगा, जो उस धारा में एक लाख रुपये की कुल सीमा के अधीन होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 1.4.2007 पर या उसके बाद किए गए निवेश (यानी वित्तीय वर्ष 2007-08 की शुरुआत से) इस कटौती के लिए पात्र होंगे।

4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) किसी कर्मचारी की पिछले वर्ष 2007-08 (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से प्रासंगिक) और उसके बाद के वर्षों के लिए टीडीएस देयता का निर्धारण करते समय ऐसे निवेशों को ध्यान में रख सकते हैं।